[2023] 1 एस सी आर 731 ए

ए.

सौरभ दास बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1126) 20 जनवरी, 2023

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एसएस।173, 207 – जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट-सभी राज्यों को सार्वजनिक डोमेन/वेबसाइटों पर सभी आरोप पत्र अपलोड करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत लिखित याचिका-आयोजितः मांगी गई राहत सी. आर. पी. सी. की योजना के विपरीत है-यह आरोपी के साथ-साथ पीड़ित और/या यहां तक कि जांच एजेंसी के अधिकारों का उल्लंघन करेगा-वेबसाइट पर एफ. आई. आर. डालने को सार्वजनिक डोमेन और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र डालने के बराबर नहीं माना जा सकता है-आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं हैं।73 साक्ष्य अधिनियम-आरोप-पत्र की प्रतियां एस के अंतर्गत नहीं आती हैं।4(1)(ख) आर. टी. आई. अधिनियम-इस प्रकार, याची राहत का हकदार नहीं है-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 73,74-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -एस. 4 (2)।

सी.

डी.

ई.

रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** याची उस राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में अनुरोध किया गया है**,** जिसमें सभी राज्यों को **Cr.P.C** की धारा **173** के तहत दायर सभी आरोप पत्रों/चालानों की प्रतियां अपनी वेबसाइटों पर डालने का निर्देश दिया गया है। **[**पैरा **7] [736-**ई**]**

एफ.

1.2 धारा **173 Cr.P.C** और धारा **207 Cr.P.C** को संयुक्त रूप से पढ़ने पर जांच एजेंसी को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट की प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और किसी अन्य को नहीं।इसलिए**,**

यदि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत की अनुमति दी जाती है और आरोप पत्र के साथ पेश किए गए सभी आरोप पत्रों और प्रासंगिक दस्तावेजों को सार्वजनिक डोमेन या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर रखा जाता है**,** तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के विपरीत होगा और यह आरोपी के साथ**-**साथ पीड़ित और**/**या यहां तक कि पीड़ित के अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकता है।

जी.

एच.

731

732 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

जाँच एजेंसी।वेबसाइट पर एफ़**.** आई**.** आर**.** डालने की तुलना सार्वजनिक डोमेन और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र डालने से नहीं की जा सकती है।**[**पैरा **4.5] [735-**ई**-**जी**]**

1.3.साक्ष्य अधिनियम की धारा **74** में उल्लिखित दस्तावेजों को केवल सार्वजनिक दस्तावेज कहा जा सकता है**,** जिनकी प्रमाणित प्रतियां ऐसे सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाले संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दी जानी हैं।साक्ष्य अधिनियम की धारा **75** के अनुसार साक्ष्य की धारा **74** के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र की प्रति को सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है**,** साक्ष्य अधिनियम की धारा **74** में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा अन्य सभी दस्तावेज सभी निजी दस्तावेज हैं।इसलिए**,** आरोप पत्र के साथ आरोप पत्र**/**दस्तावेजों को साक्ष्य अधिनियम की धारा **74** के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है**,** साक्ष्य अधिनियम की धारा **74** और **76** पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है।**[**पैरा **5] [735-**एच**; 736-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

1.4.आर**.** टी**.** आई**.** अधिनियम की धारा **4 (2)** के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह आर**.** टी**.** आई**.** अधिनियम की धारा **4** की उप**-**धारा **1** के खंड **(**बी**)** की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए ताकि संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। आरोप पत्र की प्रतियां और आरोप पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज आर**.** टी**.** आई**.** अधिनियम की धारा **4 (1) (**बी**)** के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन परिस्थितियों में भी आर**.** टी**.** आई**.**

अधिनियम की धारा **4 (1) (2)** पर निर्भरता भी गलत और गलत है।**[**पैरा **6] [736-**सी-डी**]**

ई.

एफ.

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **(2016)**

9 एस**.** सी**.** सी**. 473-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

(2016) 9 एस**.** सी**.** सी**. 473**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.1**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) No.1126

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

प्रशांत भूषण, सुश्री रिया यादव, अधिवक्तागण याची के लिए।

एच.

733

सौरभ दास बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

न्यायालय 1 न्यायालय.न्यायालय न्यायालयभन्यायालयान्यायालयरन्यायालयतन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयान्यायालयनन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयचन्यायालय्न्यायालयछन्यायालयेन्यायालयदन्यायालय न्यायालय 3 न्यायालय 2 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयहन्यायालयतन्यायालय न्यायालयइन्यायालयसन्यायालय न्यायालययन्यायालयान्यायालयचन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयमन्यायालयान्यायालयधन्यायालय्न्यायालययन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय याची न्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयचन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालयोन्यायालयंन्
यायालय/न्यायालयआन्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयधन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयरन्यायालयदन्यायालयान्यायालयतन्यायाल
यान्यायालयओन्यायालयंन्यायालय-
न्यायालयरन्यायालयान्यायालयजन्यायालय्न्यायालययन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयदन्यायालयंन्यायालयडन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयिन्यायालययन्यायालया
न्यायालय न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयहन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय 9 न्यायालय 7 न्यायालय 3 न्यायालय
न्यायालय(न्यायालयइन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयदन्यायालय
न्यायालय'न्यायालय C न्यायालय r न्यायालय.न्यायालय P न्यायालय.न्यायालय C न्यायालय'न्या
यालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयदन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयभन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
)न्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय 7 न्यायालय 3 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयसन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयान्यायालययन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयपन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयंन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयोन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयोन्यायालयंन्
यायालय न्यायालयतन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयुन्यायालयफन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयजन्यायालयनन्यायालयिन्यायाल
यकन्यायालय न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयुन्यायालयंन्यायालयचन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय

न्यायालयसन्यायालयकन्यायालयन्यायालयषन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयन्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयतन्यायालयेन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालयंन्यायालय।
न्यायालय

बी.

भारत बनाम भारत संघ, (2016) 9 एस. सी. सी. 473 उनकी वेबसाइटों पर।

2. याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

सी.

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ऊपर) का मामला जिसके द्वारा यह न्यायालय

एफ. आई. आर. की प्रतियां उनके पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइटों या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।2.1 याची की ओर से यह मामला है कि इस माननीय न्यायालय के पुलिस को अपनी वेबसाइटों पर प्राथमिकियों की प्रतियां प्रकाशित करने के निर्देश ने वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली के काम में पारदर्शिता को प्रेरित किया है, प्रकटीकरण का तर्क आरोप पत्रों पर अधिक दृढ़ता से लागू होता है, क्योंकि जबकि प्राथमिकियां अप्रमाणित आरोपों पर आधारित होती हैं, आरोप पत्र उचित जांच के बाद दायर किए जाते हैं।

डी.

ई.

2.2 याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने हमें दंड प्रक्रिया संहिता की योजना, विशेष रूप से आई. डी. 1 की धारा 207,173 (4) और 173 (5) पर ले गए हैं और उक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जब जांच एजेंसी पर चालान/आरोप पत्र की प्रति अन्य सभी दस्तावेजों के साथ अभियुक्त को प्रस्तुत करने का कर्तव्य डाला जाता है, तो यह भी आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए।

एफ.

2.3 याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने भी जोर देकर कहा है कि आरोप पत्र एक बार न्यायालय में दायर किया जाने वाला एक सार्वजनिक दस्तावेज है।रिलायंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 और 76 पर रखा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आर. टी. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (2) के तहत भी सार्वजनिक अधिकारी/सार्वजनिक

प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह नियमित रूप से जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करे।

जी.

एच.

734

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

ए.

संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से अंतराल और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) में उल्लिखित अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना। उपरोक्त निवेदन करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत प्रदान की जाए।

3. हमने याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण को विस्तार से सुना है।

बी.

4. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याची ने जनहित याचिका के माध्यम से देश के सभी राज्यों को अपनी वेबसाइटों पर Cr.P.C की धारा 173 के अनुसार दायर आरोप पत्रों और अंतिम रिपोर्टों तक मुफ्त सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करने के लिए एक उचित निर्देश/आदेश के लिए अनुरोध किया है।

सी.

4.1 उपरोक्त के लिए निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है।

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का।

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखने पर, वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के लिए याची की ओर से पेश वकील द्वारा उस पर रखी गई निर्भरता पूरी तरह से गलत और गलत है।उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि एफ. आई. आर. की प्रतियां उनके पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइटों या राज्य सरकार की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जानी चाहिए।पूरे फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने एफ. आई. आर. की प्रतियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइटों या राज्य सरकार की वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।अभियुक्त के हित को देखते हुए और ताकि निर्दोष अभियुक्तों को परेशान न किया जाए और वे सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करने में सक्षम हों और वे आश्चर्यचकित न हों।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश

अभियुक्त के पक्ष में हैं, जिसे जहां तक आरोप पत्रों का संबंध है, बड़े पैमाने पर जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

4.2 यहां तक कि वर्तमान रिट याचिका में जो राहत मांगी गई है, वह भी दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के विपरीत होगी, जिसमें निर्देश दिया गया है कि धारा 173 Cr.P.C के तहत दायर किए गए सभी चालान/आरोप पत्रों को राज्य सरकारों के सार्वजनिक डोमेन/वेबसाइटों पर डाल दिया जाएगा।धारा 207 Cr.P.C के अनुसार, जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करे, जिसमें धारा 154 Cr.P.C के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 161 Cr.P.C की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।

जी.

एच.

735

सौरभ दास बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.3 उप-धारा 173 (4) Cr.P.C के अनुसार, जांच एजेंसी पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह धारा 173 के तहत उप-धारा (1) के तहत अग्रेषित रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को मुफ्त में प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करे।धारा 173 (4) निम्नानुसार हैः

“173(4).इस धारा के तहत एक रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, जांच या परीक्षण शुरू होने से पहले, अभियुक्त को धारा 154 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट और सभी 41 अन्य दस्तावेजों या प्रासंगिक उद्धरणों की एक प्रति मुफ्त में प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराएगा, जिन पर अभियोजन पक्ष धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों और स्वीकारोक्ति, यदि कोई हो, और उन सभी व्यक्तियों के बयानों सहित भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है।”

बी.

सी.

डी.

4.4 धारा 173 (5) Cr.P.C के अनुसार, जब उस मामले के संबंध में कोई रिपोर्ट दायर की जाती है, जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ उन सभी दस्तावेजों या प्रासंगिक उद्धरणों को भेजेगा, जिन पर अभियोजन पक्ष जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा भरोसा करने का प्रस्ताव करता है।4.5 इसलिए धारा 173 Cr.P.C और धारा 207 Cr.P.C को संयुक्त रूप से पढ़ने पर जांच एजेंसी को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट की प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और किसी अन्य को नहीं।इसलिए, यदि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत की अनुमति दी जाती है और आरोप पत्र के साथ पेश किए गए सभी आरोप पत्रों और प्रासंगिक दस्तावेजों को सार्वजनिक डोमेन या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर रखा जाता है, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के विपरीत होगा और यह आरोपी के साथ-साथ पीड़ित और/या यहां तक कि जांच एजेंसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।वेबसाइट पर एफ़. आई. आर. डालने की तुलना सार्वजनिक डोमेन और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र डालने से नहीं की जा सकती है।5. अब जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 और 76 पर निर्भरता का संबंध है, उक्त प्रावधानों पर निर्भरता भी पूरी तरह से गलत और गलत है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेजों को केवल सार्वजनिक दस्तावेज कहा जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

जिनकी प्रमाणित प्रतियां ऐसे सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाले संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दी जानी हैं।साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र की प्रति को सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा अन्य सभी दस्तावेज निजी दस्तावेज हैं। इसलिए, आरोप पत्र के साथ आरोप पत्र/दस्तावेजों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 और 76 पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है।

बी.

6. अब जहाँ तक आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 पर निर्भरता का संबंध है, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 1 के खंड (बी) की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए ताकि संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके।आरोप पत्र की प्रतियां और आरोप पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन परिस्थितियों में भी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (2) पर निर्भरता भी गलत और गलत है।7. उपरोक्त को देखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, याची राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में अनुरोध किया गया है, जिसमें सभी राज्यों को Cr.P.C की धारा 173 के तहत दायर सभी आरोप पत्रों/चालानों की प्रतियों को अपनी वेबसाइटों पर डालने का निर्देश दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

वर्तमान रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और यह खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

एफ.

निधि जैन

लिखित याचिका खारिज की गई।

(सहायकः अभिषेक अग्निहोत्री, एलसीआरए)

जी.

एच.